न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—184/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/184)

1. गीता पत्नी गोपाल जाति दरोगा निवासी राजगढ़ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. गोपाल पुत्र पन्ना जाति माली निवासी राज पैलेस होटल के पास मसूदा रोड़ ब्यावर, जिला अजमेर।
3. दिनेश पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी राज पैलेस होटल के पास मसूदा रोड़ ब्यावर, जिला अजमेर।
4. कमला पत्नी गुलाब
5. अल्का पुत्री नारायण
6. आपू पुत्री नारायण
7. केसर पत्नी नारायण
8. गणेश पुत्र नारायण
9. नोरती पुत्री नारायण
10. भगवती पुत्री नारायण
11. मंजू पुत्री नारायण
12. श्यामलाल पुत्र नारायण
13. सुशीला पुत्री नारायण

समस्त जाति माली निवासीगण राजगढ़ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

14. गणपत पुत्र मूला
15. प्रेमकिशन पुत्र मूला

समस्त जाति माली निवासीगण राजगढ़ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

अपीलांट्स

बनाम

1. करणी सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजगढ़ तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
2. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.06.2022 राजस्व वाद संख्या 20/2021

उपस्थितः—

1. श्री, एस0पी0औझा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, पुष्पेन्द्रसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 03
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 24.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा प्रकरण संख्या 20/2021 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत अप्रार्थी/अपीलांट एव अन्य अप्रार्थी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने उपस्थित होकर अपना जवाब दिनांक 21.02.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 16 के उपस्थित नहीं होने से उसकी एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा पूर्व में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 27.10.2021 शामिल मिसल का अंकन किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण/अपीलांटस की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त फरमाने मौका रिपोर्ट दिनांक 19.04.2022 को प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधी बहस करना जाहिर किया जिस पर दिनांक 10.05.2022 को बहस सुनी गई तथा दिनांक 24.05.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा न्यायालय द्वारा स्वयं निरीक्षण हेतु दिनांक 07.06.2022 नियत की गई लेकिन उक्त दिनांक को कोई मौका नहीं देखा गया और दिनांक 08.06.2022 को अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट की अनुपस्थिति में एक मौका पर्चा दिनांक 08.06.2022 तैयार किया जिसमें प्रार्थी करणीसिंह व उसके पिता विजयसिंह के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट तैयार की गई और उक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने अपने निर्णय दिनांक 14.06.2022 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांट के खातेदारी आराजी में से रास्ता दिए जाने के आदेश प्रदान करते हुए रास्ते की भूमि को राजस्व अभिलेख में सिवायचक खाते में करने की कार्यवाही के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा प्रकरण संख्या 20/2021 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2बावजूद सूचना क अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जवाब को दरकिनार करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर लिया। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाकर पत्रावली में शामिल मिसल की गई थी जिसपर अपीलांट द्वारा उक्त रिपोर्ट को निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुनः अप्रार्थीगण/अपीलांट की अनुपस्थिति में एक मौका रिपोर्ट जो मौका रिपोर्ट की श्रेणी में नहीं आती है बनाकर तथा उक्त रिपोर्ट में गलत रूप से यह अंकित करते हुए कि प्रार्थी के वांचित रास्ते का उपयोग

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

करने में कोई ऐतराज नहीं है किंतु रिकार्डेड रास्ता दर्ज करने पर ऐतराज है। रिपोर्ट में उपरोक्त तथ्यों को अंकित कर निर्णय में तथ्यों को दोहराते हुए अपीलांट के खातेदारी खेतों में से रास्ता प्रदान कर दिया। मौका पर्चा दिनांक 08.06.2022 जिसमें यह अंकन है कि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षक किया गया लेकिन उक्त मौका निरीक्षण में केवल प्रार्थीगण के द्वारा कहे गए कथनों को अंकित किया गया है तथा अप्रार्थीगण के कहे गए कथनों का अंकन होना अंकित किया है जबकि अप्रार्थीगण तो उपस्थित ही नहीं थे और ना ही उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा निरीक्षण किया गया है उसके बावजूद उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थी के द्वारा खसरा नम्बर 912 व 913 जो उसकी खातेदारी की आराजी में जाने हेतु रास्ते की मांग की है और उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 839, 901, 903, 3137/903, 3138/903, 899 में उपयोग करना बताया है जबकि प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा कभी भी उक्त खसरा नम्बर में से आवगमन नहीं किया गया है बल्कि उसने तो उक्त आराजी कुछ समय पहले खरीद की है तथा खसरा नम्बर 840 तक कोई रास्ता नहीं है बल्कि नाला है जो बारिश के समय पानी से भरा रहता है साथ ही उक्त समस्त भूमियां तालाबी किस्म की आराजीयात है और तालाब में भी अधिकांश वर्षो में पानी भरा रहता है तथा जिन वर्षो में तालाब खाली होता है तब ही कृषि कार्य संभव है इसलिए ऐसी आराजीयों पर रास्ता दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी अपीलांट ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कथन अंकित किए हैं कि उक्त आराजी पर जाने हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग खसरा नम्बर 622, 623, 1030, 1029, 943, 951 तत्पश्चात 952, 956 पर खसरा नम्बर 943, 951, 952 व 956 की दक्षिणी मेड के सहारे अर्थात तालाब की पाल के साथ साथ ही खसरा नम्बर 952, 964, 963, 961 जो प्रार्थी के पिता विजयसिंह पुत्र मदनसिंह की खातेदारी भूमियां अवस्थित है जिन खेतो पर प्रार्थी के पिता विजयसिंह उपरोक्त वर्णित सूरजपोल गेट से खसरा नम्बर 622 में अवस्थित रास्ते से ही आते जाते रहे है, और उक्त खसरा नम्बर के सटे हुए प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 912 व 913 है उस जगह से यह रास्ता ले सकता है लेकिन पिता की खातेदारी आराजी में से ना लेकर एक नया रास्ता जो गैर मुमकिन नाला में से होकर आता है लेना चाहता है जो नहीं दिया जा सकता उसके बावजूद आदेश पारित कर दिया। अपीलांट संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 839 रकबा 0.01 है0 ख0न0 901 रकबा 0.03 है0 इसी प्रकार अपीलांट संख्या 2 व 3 की आराजी खसरा नम्बर 903 का रकबा 0.04 है0 तथा अपीलांट संख्या 4 के ख0न0 899 रकबा 0.14 अपीलांट संख्या 5 से 13 के ख0न0 3138/903 का रकबा 0.04 है0 तथा अपीलांट संख्या 14 व 15 के ख0न0 3137/907 रकबा 0.04 है0 इस प्रकार सभी अपीलांट की आराजी के खसरा नम्बर का रकबा बहुत ही कम है जिसमें से रास्ता दिए जाने के पश्चात खेत समाप्त हो जाते हैं इसलिए उक्त दृष्टिकोण से भी यह रास्ता नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित कर दिया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 20/2021 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल राजगढ के खसरा नम्बर 912 रकबा 0.16 व 913 रकबा 0.06 की आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। अप्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 840 गै0मु0 रास्ता से होकर प्रार्थीगण 1 से 15 के खसरा नम्बर 839, 901,903, 3137/903,3138/903, 899 का उपयोग करते है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 840 रास्ते के बाद प्रार्थी संख्या 1 से 15 के खातेदारी खसरा नम्बर 839, 901, 903, 3137/903, 3138/903, 899 में से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर अपने खातेदारी खेतों में प्रवेश करते है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नहीं हैं। आराजी मुतनाजा के पूरव व पश्चिम दिशा में पहाडियां है। जिस कारण अप्रार्थी के पास अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौड़ा रास्ता न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावें। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार, नसीराबाद को राजस्व रिकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 912 रकबा 0.16 हेक्टर व खसरा नम्बर 913 रकबा 0.06 हैक्टर बाबत अप्रार्थीगण/अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ते हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया कि जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई उक्त आदेश की पालना में संबंधित भू–.अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर उक्त मौका रिपोर्ट को निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय कर न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किए जाने का आदेश दिनांक 24.5.2022 पारित किया तथा उक्त आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा विवादित आराजीयात का स्वयं तथा संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक अधिकारी की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर दिनांक 8.6.2022 को संबंधित पक्षकरों की मौजूदगी में मौका पर्चा मुर्तिब किया गया उक्त मौके पर्चे में रास्ते संबंधी मुख्य बिंदु निकटमत रास्ते तथा वैकल्पिक रास्ते एवं रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है उक्त मौका रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन है कि प्रार्थी के उक्त वांछित रास्ते का उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई एतराज नहीं है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेख एवं दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थी/रेस्पोडेट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने का आदेश प्रदान किया है जो कि विधि सम्मत उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा प्रकरण संख्या 20/2021 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर